न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती कुसुमलता चौहान ,आर.ए.एस.

मु.न. 10/2019

प्रार्थीगण:-

1 तेजसिंह पुत्र नारायणजी

2 करणसिंह पुत्र नारायणजी

3 दरिया पत्नी वसना जातियान राजपुरोहित निवासीयान–सिणेर तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण:-

1. फूसाराम पुत्र उदाराम जाति मेघवाल निवासी टापरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर

2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (2) राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 रास्ता कायम करवाने बाबत्

उपस्थित :– **1. श्री गौतमसिंह अधिवक्ता प्रार्थीगण**

2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

–: आदेश :–

दिनांक :– 20.11.2020

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र विप्रार्थीगण के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 193 रकबा 3.0756 हैक्टयर किस्म रेतली सरहद मौजा सिणेर पटवार हल्का सिणेर तहसील सिवाना में आवागमन हेतु वदिशा पूर्व में स्थित विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 647/188 व 648/188 आया हुआ है उक्त खसरा के [illegible] पादरू से सिवाना जाने वाली डामरीकरण सडक बनी हुई है। प्रार्थीगण के खेत में आवागमन हेतु एक मात्र रास्ता प्रार्थीगण के अपने खातेदारी खेत में आवागमन हेतु [illegible] रास्ता मुख्य सडक से बीच में विप्रार्थीगण संख्या 1 का खातेदारी खेत खसरा संख्या 647/188 व 648/188 सरहद मौजा सिणेर से आवागमन

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.01.09 17:17:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

हेतु रास्ता कदीमी से मौके पर कायम है जिससे पादरू से सिवाना जाने वाले मुख्य मार्ग से जुडती हुई डामर सडक निकली हुई है जो मौके पर काविज है मगर वर्तमान में विप्रार्थी. संख्या 1 द्वारा आने–जाने के रास्ते का अवरूद्व किया गया है। उक्त रास्ते पर आवागमन के बाबत् विप्रार्थीगण के हक पूर्वाधिकारियो ने कभी कोई आपत्ति नहीं की ,लेकिन समय का अन्तर आ जाने के कारण विप्रार्थीगण मौके पर विरोध पैदा करने हेतु आमादा हुये तथा मौके पर अवरोध पैदा कर दिया तथा इसी रास्ते से प्रार्थीगण अपने ट्रैक्टर,हल,कृषि औजार को लाने ले जाने तथा आवगमन करता रहा है,इसके अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं हैं, अतः प्रार्थीगण को अपने खातेदारी खेत खसरा संख्या 193 रकबा 3.0756 हैक्टयर में आवगमन हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 647/188 व 648/188 की भूमि में से 15 फीट चौडा रास्ता घोषित किया जावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व तहसीलदार सिवाना से मौका रिपोर्ट चाही गई। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील सुदा प्राप्त वावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से विप्रार्थीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई ।

अज अदालत द्वारा जरिये पत्रांक वाचक/2019/694 दिनांक 02.09.19 के आराजी भूमि की मौका रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार सिवाना के द्वारा पत्रांक राजस्व/2020/181 दिनांक 17.03.2020 के द्वारा मौका जांचकर फर्द मौका मय मौका नक्शा प्रेषित की जो शामिल पत्रावली की गई।

तहसीलदार सिवाना से प्राप्त फर्द मौका अनुसार प्रार्थीगण अपने खातेदारी खेत खसरा संख्या 193 में आवागमन विप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा संख्या 647/188 व 648/188 में से कर रहे है तथा आवागमन वर्तमान में चालू है। आवेदित रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खेत में पहुँचने का अन्य कोइ कटाण मार्ग उपलब्ध नहीं है। विप्रार्थीगण के खेत में से प्रस्तावित रास्ते की खसरा संख्या 647/188 भूमि की लम्बाई 04 गट्ठा x

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.01.09 17:17:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

चौडाई 02 गट्ठा का 0.08 बिस्वा (0.0162 हैक्ट) तथा खसरा संख्या 648/188 में प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 64 गट्ठा x चौडाई 02 गट्ठा का 06–08 बिस्वा बनता है।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी। दौरान बहस प्रार्थीगण वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 193 रकबा 3.0756 हैक्टयर किस्म रेतली सरहद मौजा सिणेर पटवार हल्का सिणेर तहसील सिवाना में आवागमन हेतु बदिशा पूर्व में स्थित विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 647/188 व 648/188 में से चल रहा रास्ता एक मात्र निकटतम एवं प्रचलित रास्ता है। जिसे रास्ता घोषित किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन व मनन किया तहसीलदार सिवाना के पत्रांक राजस्व/2020/181 दिनांक 17.03.2020 के द्वारा प्रेषित मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के खेत में आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। मौका रिपोर्ट के अनुसार विप्रार्थीगण के खेत में प्रस्तावित रास्ते की खसरा संख्या 647/188 भूमि की लम्बाई 04 गट्ठा x चौडाई 02 गट्ठा का 0.08 बिस्वा (0.0162 हैक्ट) तथा खसरा संख्या 648/188 में प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 64 गट्ठा x चौडाई 02 गट्ठा का 06–08 बिस्वा बनती है। रास्ते में प्रयुक्त हो रही भूमि की डीएलसी दर असिंचित सडक पर 43000/– रूपये प्रति बीघा है। प्रार्थीगण रास्ते में जाने वाली भूमि की डीएलसी दर से दुगुनी राशि प्रभावित खातेदार विप्रार्थीगण को अदा किये जाने हे[illegible] हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.01.09 17:17:19 IST
Reason: SelfAttested

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना प[illegible]कार किया जाकर प्रार्थीगण के रास्ते हेतु अत्यांतिक आवश्यकता ह[illegible] के कारण प्रार्थीगण खेत सरहद मौजा खसरा संख्या 193 रकबा 03.0756 हैक्टयर में आवगमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा संख्या 647/188 व खसरा संख्या

उपखण्ड-अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

648/188 में 2 गट्ठा चौडाई में रास्ता निकालने की आदेश दिया जाता है। आदेशानुसार प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के रकबे की गणना करके तहसीलदार द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण को रास्ते के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में देय होगी जो डीएलसी निर्धारित आदेश को प्रचलित दर की दो गुणा के बराबर होगी।

प्रार्थीगण द्वारा नये प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थीगण को प्रदान करने के उपारान्त हीं तहसीलदार सिवाना को उक्त रास्ते की भूमि का गै.मु.रास्ते के रूप में सरकारी खाते में राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। नये 2 गट्ठा चौडा रास्ते में होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में दर्ज होगी। प्रार्थीगण को संलग्न नक्शानुसार 2 गट्ठा चौडाई में बरंग लाल भूमि को रास्ते के रूप में (A से B) तक उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त अन्य अधिकार अर्जित नहीं होगे। तहसीलदार सिवाना द्वारा जरिये पत्रांक राजस्व/2020/181 दिनांक 17.03.2020 द्वारा प्रेषित मौका फर्द के संलग्न नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थी को 2 गट्ठा चौडाई में रास्ता दिये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सिवाना को तहरीर जारी हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.01.09 17:17:19 IST
Reason: SelfAttested

(कुसमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 20.11.2020 लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

(कुसमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी सिवाना
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

नक्शा किश्तवार (आंशिक)
मौजा ....सिणोर............
तहसील-सिवाना, जिला बाड़मेर
पैमाना 1 इंच=60 गज़

नजरी नक्शा

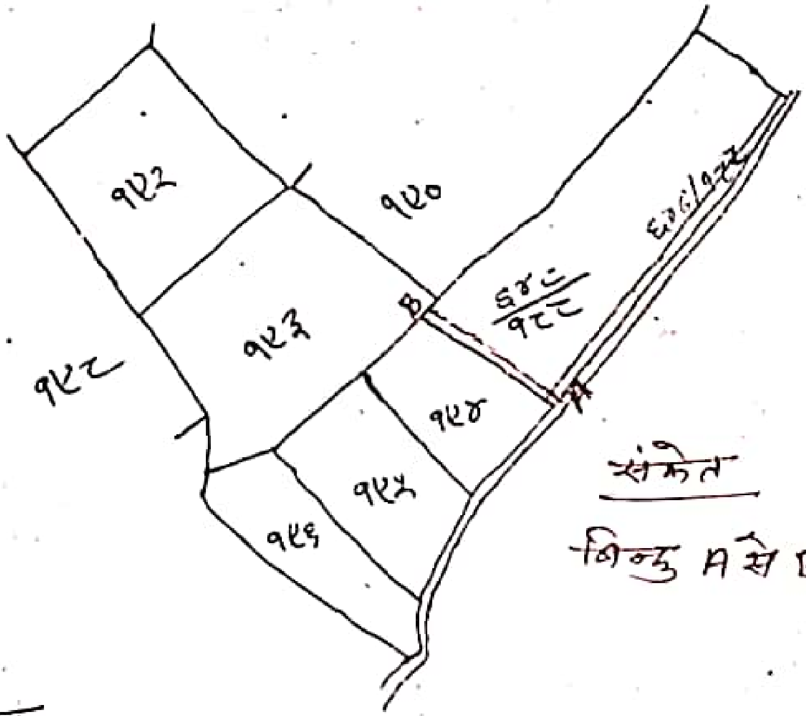

संकेत

बिन्दु A से B प्रस्तावित रास्ता

स्वीकृत

उप खण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

05/03/2020
प० सिणोर

05/3/2020
ILR धारणा

तहसीलदार, सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.01.09 17:17:19 IST
Reason: SelfAttested